


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1122]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 22, 2014/ज्येष्ठ 1, 1936

No. 1122]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 22, 2014/JYAISTHA 1, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2014

का.आ. 1354(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 650(अ), द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 19 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिनियम की धारा 153 और 154 के अधीन निदेशक पहचान संख्या के आवंटन के संबंध में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों और कार्यों को नोएडा स्थित प्रादेशिक निदेशक कार्यालय में तैनात प्रादेशिक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक को प्रत्यायोजित करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/6/2014-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2014

S.O. 1354(E).—In exercise of the powers conferred by Section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 650(E), dated the 19th October, 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby delegates the powers and functions of the Central Government in respect of allotment of Director Identification Number under Sections 153 and 154 of the said Act to the Regional Director, Joint Director, Deputy Director or Assistant Director posted in the office of Regional Director at Noida.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/6/2014-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.